



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012026-269121  
CG-DL-E-05012026-269121

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947

No. 44]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

**का.आ. 45(अ).—** केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 के बघमारी बाईपास के कि.मी 281.7 किमी से 285.3 किमी तक उड़ीसा राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

## अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 पर बघमारी बाईपास के कि.मी 281.700 किमी से 285.300 किमी तक भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल सब कलेक्टर , खोर्धा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH57 के कि.मी 281.7 से कि.मी 285.3 तक	उड़ीसा	खोर्धा	बेगुनिअ	1 बघमरि 2 लोकनाथपुर

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

**S.O. 45(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders for Construction of Baghamari By-pass on NH-57 from km. 281.700 to 285.300 in the State of ODISHA.

## SCHEDULE

Land acquisition for Construction of Baghamari By-pass from km 281.700 to 285.300 km on National Highway No-57 in the State of ODISHA

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Sub Collector, Khordha	NH57 KM 281.7 TO KM 285.3	ODISHA	KHORDHA	Begunia	1 Baghamari 2 Lokanathpur

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

SHAIKH AMINKHAN, Director